मॉडल स्कूल हेतु आवेदन–पत्र

1. आवेदित पद का नाम ....

2. विषय ....

3. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी में) ....

4. पिता का नाम ....

5. पत्र व्यवहार का पता ....
....

6. वर्तमान धारित पद ....(विषय..)

7. वर्तमान विद्यालय का नाम ....

8. जन्म तिथि ....

9. दूरभाष :– मोबाइल नं0– ....

10. आयु 01–01–2017 को ....वर्ष..........माह.........दिन

11. जाति (सामान्य/ओ0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0)..
(जाति अंकित की जाय)

12. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

क्र0सं0	परीक्षा	वर्ष	विषय	बोर्ड/वि0वि0	श्रेणी
1	स्नातक				
2	स्नातकोत्तर				
3	बी0एड0/एल0टी0				
4	अन्य				
5					

Scanned by CamScanner

13. शैक्षणिक/प्रशासनिक अनुभव (संस्थाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र0 सं0	संस्था का नाम	पद	अवधि		वेतनबैंड एवं ग्रेड पे	अनुभव	
			कब से	कब तक		वर्ष	माह
1							
2							
3							
4							
5							
6							

14. अन्य विवरण (प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

i. ....

ii. ....

iii. ....

15. आवेदित जनपद का नाम

16. ब्लाक का नाम –

17. वर्ष 2016 का परीक्षाफल (%) में –

हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट

18. पांच वर्ष का परीक्षाफल –

क्र0सं0	वर्ष	हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट
	2012–13		
	2013–14		
	2014–15		
	2015–16		
	2016–17		
	औसत		

19. शिक्षक प्रशिक्षण –

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	संख्या	प्रमाण पत्र है/नहीं है

20. कम्प्यूटर दक्षता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

21. ICT पुरस्कार (प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

Scanned by CamScanner

22. JNV/KVS/Public School का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

23. NCC/NSS (प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

24. Guidence&Counselling (प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

25. खेल प्रतियोगिता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

26. कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान (प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

संलग्नकों का विवरण:–

स्थान.............. हस्ताक्षर

दिनांक......... आवेदक का नाम

प्रमाण पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण सत्य हैं।

स्थान............... हस्ताक्षर

दिनांक आवेदक का नाम

अग्रसारण प्रमाण पत्र

(उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... पुत्र/पुत्री श्री............................... विद्यालय का नाम............................ में दिनांक .... से दिनांक .... तक .... पद पर कार्यरत है। श्री/श्रीमती/कु0.................................को विगत पांच वर्षों में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है तथा न ही इनके विरूद्ध कोई न्यायालयी वाद लम्बित है। श्री/ श्रीमती /कु0 .... को मॉडल स्कूल में ....पद पर आवेदन करने हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

दिनांक ....
स्थान.................

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली

जनपद की माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेजों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या/सेवा0अराज0/3(1)(2)/8675-78/मॉडल स्कूल/2017-18 दिनांक 21 सितम्बर 2017

शासनादेश संख्या-369/XXIV-नवसृजित/2016-02(21)/2015 दिनांक 30 मई 2016 एवं शासनादेश संख्या/804/XXIV-नवसृजित/2016-02(21)/2015 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या/नियो.5ख(4)/17541-42/मॉडल स्कूल/2017-18 दिनांक 12 सितम्बर 2017 के क्रम में जनपद की माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेजों/हाईस्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जनपद में कार्यरत प्रवक्ताओं/स0अ0 एल0टी0 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(क) रिक्तियों का विषयवार विवरण :-

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	शाखा	प्रवक्ता वेतनक्रम में रिक्त पदों का विवरण		स0अ0 एल0टी0 वेतनक्रम में रिक्त पदों का विवरण	
				विषय	रिक्त पदों की संख्या	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रा0इ0का0 तपोवन	जोशीमठ	सामान्य	भूगोल	01	हिन्दी विज्ञान	01 01
2	रा0बा0इ0का0 जोशीमठ	जोशीमठ	महिला	जी0वि0 संस्कृत गणित	01 01 01	–	–
3	रा0इ0का0 गडोरा	दशोली	सामान्य	अर्थशास्त्र भूगोल रसा0वि0	01 01 01	विज्ञान	01
4	रा0इ0का0 नन्दप्रयाग	दशोली	सामान्य	इतिहास गणित	01 01	–	–
5	रा0इ0का0 बैरासकुण्ड	घाट	सामान्य	हिन्दी अर्थशास्त्र नागरिकशास्त्र भूगोल रसा0वि0	01 01 01 01 01	अंग्रेजी विज्ञान गणित कला व्यायाम	01 01 01 01 01
6	रा0इ0का0 बांजबगड़	घाट	सामान्य	हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत गणित जी0वि0 नागरिकशास्त्र इतिहास	01 01 01 01 01 01 01	–	–
7	रा0इ0का0 नागनाथ	पोखरी	सामान्य	हिन्दी नागरिकशास्त्र भूगोल गणित शिक्षाशास्त्र	01 01 01 01 01	हिन्दी	01
8	रा0इ0का0 रड़ुवाचांदनीखाल	पोखरी	सामान्य	अंग्रेजी भूगोल	01 01	हिन्दी	02
9	रा0इ0का0 कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	सामान्य	वाणिज्य	01	हिन्दी गणित वाणिज्य	01 01 01
10	रा0बा0इ0का0 गौचर	कर्णप्रयाग	महिला	संस्कृत गणित जी0वि0 अर्थशास्त्र सैन्य विज्ञान	01 01 01 01 01	अंग्रेजी व्यायाम	01 01
11	रा0इ0का0 मेहलचौरी	गैरसैंण	सामान्य	संस्कृत अंग्रेजी नागरिकशास्त्र रसा0वि0 जी0वि0	01 01 01 01 01	–	–

Scanned by CamScanner

12	रा0इ0का0 आदिबद्री	गैरसैंण	सामान्य	नागरिकशास्त्र जी0वि0	01 01	–	–
13	रा0इ0का0 नारायणबगड़	नारायणबगड़	सामान्य	रसा0वि0 नागरिकशास्त्र	01 01	–	–
14	रा0इ0का0 पैंतोली	नारायणबगड़	सामान्य	हिन्दी अंग्रेजी नागरिकशास्त्र रसा0वि0 जी0वि0	01 01 01 01 01	हिन्दी विज्ञान कला	01 01 01
15	रा0इ0का0 थराली	थराली	सामान्य	संस्कृत अर्थशास्त्र इतिहास रसा0वि0	01 01 01 01	हिन्दी	02
16	रा0इ0का0 ग्वालदम	थराली	सामान्य	नागरिकशास्त्र	01	कला व्यायाम	01 01
17	रा0इ0का0 मुन्दोली	देवाल	सामान्य	अंग्रेजी अर्थशास्त्र नागरिकशास्त्र भूगोल रसा0वि0 गणित	01 01 01 01 01 01	हिन्दी विज्ञान गणित	01 01 01
18	रा0इ0का0 बोरागाड़	देवाल	सामान्य	हिन्दी रसा0वि0 भौ0वि0 गणित	01 01 01 01	हिन्दी गणित विज्ञान कला	01 01 01 01

वर्तमान में समायोजन/नियुक्ति प्रक्रिया जारी है जिसके फलस्वरूप उक्त विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(ख) शिक्षकों का मूल्यांकन एवं चयन शासनादेश संख्या–369/XXIV–नवसृजित/2016–02(21)/2015 दिनांक 30 मई 2016 में निर्धारित व्यवस्थानुसार किया जायेगा। शासनादेश की प्रति विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की वैबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) आवेदन, जनपद–चमोली के अन्दर केवल एक ही विकासखण्ड के विद्यालयों में वरीयताक्रम में किया जा सकेगा। एक से अधिक विकाखण्डों हेतु आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(घ) आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/दस्ती से दिनांक **04 अक्टूबर 2017 सांय 5.00 बजे तक "कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली"** में प्राप्त होने अनिवार्य हैं। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(च) विषय में रिक्त पद हेतु सम्बन्धित पदधारक/विषयाध्यापक ही आवेदन कर सकते हैं।

(छ) सामान्य शाखा में नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका केवल सामान्य शाखा हेतु एवं महिला शाखा में नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका केवल महिला शाखा के विद्यालय हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(ज) लिफाफे के बाहर शीर्ष भाग पर "मॉडल स्कूल हेतु आवेदन पत्र" एवं पदनाम विषय सहित अंकित करना होगा।

(झ) परीक्षा का आयोजन 09 अक्टूबर 2017 को आयोजित की जायेगी तथा परीक्षा स्थान, समय एवं साक्षात्कार की सूचना पृथक से दी जायेगी।

(ललित मोहन चमोला)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चमोली

पृ0सं0/सेवा0अराज0/3(1)(2)/ /मॉडल स्कूल/2017–18 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ एवं इस निवेदन के साथ कि उक्त निर्देशों को विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित करवाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना एवं प्रोद्यौगिकी अधिकारी, एन0आई0सी0 गोपेश्वर जनपद चमोली को इस निवेदन के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वैबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित मोहन चमोला)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चमोली

Scanned by CamScanner

संख्या- 369/XXIV-नवसृजित/2016-02(21)/2015

प्रेषक,

रंजना,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित देहरादूनः दिनांक 30 मई, 2016

विषयः- राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय इण्टर कालेज /राजकीय हाईस्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु शिक्षकों की पदस्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः-नियोजन/2276/2016-17 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु शिक्षकों की चयन प्रकिया में निम्नवत् प्रकिया अपनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(क) शिक्षकों की चयन प्रकिया-

1. वर्तमान में मॉडल स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के बोर्ड परीक्षाफल का आंकलन किया जायेगा ताकि उनको उसी मॉडल स्कूल में रखे जाने पर विचार किया जा सके।
2. प्रत्येक वर्ष माह मई/जून में बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर शिक्षकों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा अच्छा प्रदर्शन न करने वाले शिक्षकों को अन्यत्र तैनात किया जाएगा।
3. वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों का विगत 05 वर्षों का परिषदीय परीक्षाफल मूल्यांकन किया जाएगा। परिषदीय परीक्षा के औसत से न्यून प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को अन्यत्र तैनात किया जाएगा। मध्य सत्र में होने वाली रिक्ति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विकासखण्ड/जनपद के पूल में से की जा सकेगी, जब तक कि नियमित/पदोन्नति से अध्यापक उपलब्ध न हो।

(ख) शिक्षकों का मूल्यांकनः-

यदि मॉडल स्कूल में किसी विषय का पद रिक्त है तो उसे भरे जाने हेतु निम्नवत् चयन की कार्यवाही की जायेगीः-

क्र0सं0	विवरण	अंक/स्तर	अभ्युक्ति
1	विगत वर्ष की परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफल	100 प्रतिशत 80-99 प्रतिशत 60-79 प्रतिशत	-03 अंक -02 अंक -01 अंक
2	विगत 05 वर्षों का परीक्षाफल का औसत	100 प्रतिशत 80-99 प्रतिशत 60-79 प्रतिशत	-03 अंक -02 अंक -01 अंक
3	शिक्षकों का प्रशिक्षण	राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर जनपद स्तर	-03 अंक -02 अंक -01 अंक

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

4	शिक्षकों की कम्प्यूटर दक्षता	MCA BCA 1-Year Diploma	–03 अंक –02 अंक –01 अंक
5	आई0सी0टी0 अवार्ड	अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य स्तरीय	03 अंक –02 अंक –01 अंक
6	JNV/KVS/ पब्लिक स्कूल का अनुभव	न्यूनतम 02 वर्ष	–03 अंक
7	एन0सी0सी0 / एन0एस0एस0		–01 अंक
8	गाईडेंस काउन्सिलिंग		–01 अंक
9	खेल	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग राज्य स्तर पर प्रतिभाग	–03 अंक –02 अंक –01 अंक
10	कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान	(MS Office एवं इण्टरनेट)	–02 अंक
11	लिखित परीक्षा		–50 अंक
12	साक्षात्कार		–25 अंक

(ग) **चयन प्रकिया**:–मॉडल स्कूलों में चयन प्रकिया हेतु निम्न मानक अपनाये जायः–

गुणवत्ता गुणांक–25 अंक

लिखित परीक्षा–50 अंक

साक्षात्कार–25 अंक

1. उपर्युक्त निर्धारित 100 अंकों में से 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. लिखित परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अंग्रेजी कम्प्रेहेन्सिव, विषय ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर ज्ञान तथा छात्र–अभिरूचि से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. लिखित परीक्षा में अंग्रेजी कम्प्रेहेन्सिव के 10 प्रश्न, विषय ज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न, कम्प्यूटर ज्ञान के 05 प्रश्न एवं शिक्षण–अभिरूचि के 05 प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. शिक्षक केवल अपने जनपद के अंतर्गत ही मॉडल स्कूलों के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक शिक्षक केवल एक ही विकासखण्ड के लिए आवेदन कर सकेगा।
5. लिखित परीक्षा के पश्चात् सफल शिक्षकों का ब्लाक स्तर पर साक्षात्कार किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जो कि निम्नवत् होगीः–

   1– खण्ड शिक्षा अधिकारी–अध्यक्ष।

   2– प्राचार्य, डायट द्वारा नामित सदस्य।

   3– मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित प्रधानाचार्य।

   4– ब्लॉक में वरिष्ठतम प्रवक्ता(सदस्य सचिव)

   5–ब्लॉक में अवस्थित केन्द्रीय विद्यालय / जवाहर , नवोदय विद्यालय / सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 विद्यालय से प्रधानाचार्य द्वारा नामित एक प्रवक्ता / टी0जी0टी0।
6. चयनित शिक्षकों की मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा पदस्थापना की जायेगी।
7. चयनित शिक्षकों को उनके विकल्प के आधार पर विकासखण्ड के मॉडल स्कूल में पदस्थापना की जाएगी।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

8. प्रत्येक विषय की मैरिट के अनुसार ही पदस्थापना की जाएगी।
9. साक्षात्कार से पहले खण्ड शिक्षा अधिकारी, विषय की रिक्ति की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
10. मॉडल स्कूलों में चयनित शिक्षकों का प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा कार्य के मूल्यांकन अथवा इच्छा के आधार पर शिक्षकों को विकासखण्ड के उसी श्रेणी के अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकेगा।
11. चयनित शिक्षकों को शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में छूट प्रदान की जायेगी।
12. मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने में प्रधानाचार्य का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अतएव मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य का भी प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जाएगा।

भवदीय
30/05/16
(रंजना)
अपर सचिव

संख्याः / (1)/xxiv–नवसृजित/2016–02(21)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
8. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रंजना)
अपर सचिव

Scanned by CamScanner

1697
05/10/16

संख्या–804 / XXIV–नवसृजित / 2016–02(21) / 2015

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादूनः दिनांकः 05 अक्टूबर, 2016

विषयः– मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–369 / XXIV / नवसृजित / 2016–02(21) / 2015 दिनांक 30 मई, 2016 के प्रस्तर–ग द्वारा चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

यह संज्ञान में आया है कि कट ऑफ अंक 60 प्रतिशत होने के कारण कतिपय मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की जा सकी। अतः सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर–ग में वर्णित चयन प्रक्रिया में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायः–

1. निर्धारित 60 प्रतिशत कट ऑफ के नीचे भी मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में शिक्षकों का चयन उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक किया जाए।

2. शिक्षकों को जनपद के अन्तर्गत सभी मॉडल स्कूलों में तैनाती हेतु विचार किया जाय, किन्तु मैरिट में ऊपर आने वाले शिक्षकों को उपलब्ध रिक्तियों के लिए पहले विकल्प दिया जाए, ताकि वे अपने मनचाहे विद्यालय का पहले चयन कर सकें।

3. शासनादेश दिनांक 30 मई, 2016 के प्रस्तर–ग(1) के आधार पर जनपद स्तर पर चयनित शिक्षकों की विषयवार मैरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसे वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय। इसके साथ ही विषयवार व्यक्तियों का विवरण भी वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। चयनित शिक्षकों से मैरिट सूची के आधार पर वरीयता क्रमानुसार वेबसाईट पर प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष विकल्प माँगे जायेंगे। शिक्षकों द्वारा वांछित विकल्प के अनुरूप पद स्थापना की जायेगी।

4. जिन विद्यालयों में पूर्व से गेस्ट शिक्षक दिनांक 31.03.2017 तक कार्यरत हैं, में नव चयनित शिक्षकों द्वारा दिनांक 01.04.2017 से योगदान कराया जाए।

4/10/2016

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner